भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
26.03.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 4211 का उत्तर

बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर जुर्माना

4211. श्रीमती माला राय:
श्री दीपक अधिकारी (देव):
श्री उज्जवल रमण सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्‌वारा वर्ष 2023-24 के दौरान देश भर में कितने यात्री बिना टिकट पकड़े गए हैं;

(ख) दिनांक 15.01.2025 से 28.02.2025 की अवधि के दौरान नई दिल्ली, प्रयागराज और वाराणसी रेल स्टेशनों पर बिना टिकट यात्रा करने के लिए राज्यवार कितने यात्रियों पर जुर्माना लगाया गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर अंकुश लगाने के लिए देश भर में कितने विशेष टिकट जांच अभियान चलाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्‌वारा उक्त अवधि के दौरान उक्त यात्रियों से राज्यवार कितना-कितना जुर्माना वसूला गया है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्‌योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): वर्ष 2023-24 के दौरान भारतीय रेल में लगभग 2.16 करोड़ यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पाए गए और इन यात्रियों से आधिक्य शुल्क (किराए को छोड़कर) के रूप में लगभग 562.40 करोड़ रुपए वसूल किए गए। बिना टिकट यात्रा करने के आंकड़े राज्य-वार/स्टेशन-वार नहीं रखे जाते हैं।

sk

स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए या रेल मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार समय-समय पर क्षेत्रीय रेलों द्वारा विशेष टिकट जांच अभियान चलाए जाते हैं। ऐसे अभियानों के केंद्रीकृत आंकड़े नहीं रखे जाते है।

इसके अलावा, भारतीय रेल में टिकट जांच गतिविधि और विशेष टिकट जांच अभियान चलाना एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

******

sk